

१८

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY  
PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, dated 6<sup>th</sup> April, 2011

GSR (E)..... :- In exercise of the Powers conferred by sub-sections (1), (2), (5) and (8) of Section 25 and sub-section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956( 1 of 1956), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Companies Regulations, 1956, namely :-

1. (1) These regulations may be called the Companies (Amendment) Regulations, 2011

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette

2. In the Companies Regulations, 1956, in regulation 2, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

“(d) “ Regional Director” means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director for the respective regions as under:-

(1)	(2)	(3)
(i) Regional Director	North Region Directorate Headquarter at Noida (Gautam Budh Nagar)	States of Jammu and Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, National Capital Territory of Delhi, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Union Territory of Chandigarh .
(ii) Regional Director	Southern Region Directorate Headquarter at Chennai	States of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Union Territory of Lakshadweep, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Puducherry.
(iii) Regional Director	Eastern Region Directorate Headquarter at Kolkata	States of Bihar, Jharkhand, Orissa, West Bengal.

(iv) Regional Director	Western Region Directorate Headquarter at Mumbai	States of Maharashtra, Goa and Union Territory of Daman and Diu.
(v) Regional Director	North Western Region Directorate Headquarter at Ahmedabad	States of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chattisgarh and <b>Union Territory of Dadra and Nagar Haveli</b>
(vi) Regional Director	North Eastern Region Directorate Headquarter at Guwahati	State of Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur and Tripura.”

[F.No.5/18/2005-CL.V]

  
RENUKA KUMAR

Joint Secretary to the Government of India

Foot Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India vide S.R.O. No. 432B dated 18.2.1956 and subsequently amended by:-

1. GSR No. 188 dated 09.01.1958
2. GSR No. 399 dated 24.03.1962
3. GSR No. 1850 dated 01.12.1966
4. GSR No. 1445 dated 16.09.1967
5. GSR No. 668 dated 10.06.1973
6. GSR No. 523 dated 11.07.1989
7. GSR No. 367(E) dated 31.05.1991
8. GSR No. 924(E) dated 14.12.1992
9. GSR No. 610(E) dated 23.09.2005
10. S.O 1291(E) dated 30.07.2007
11. GSR No. 866-E dated 29.10.2010

9/c

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 6<sup>th</sup> अप्रैल, 2011

### अधिसूचना

सा.का.नि(अ).....:- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उप-धारा (1),(2),(5) तथा (8) एवं धारा 609 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार कंपनी नियमावली, 1956 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियमन बनाती है, नामश:-

- (1) इन विनियमनों को कंपनी (संशोधन) विनियम, 2011 कहा जाएगा।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी विनियमन, 1956 में विनियमन 2 में, खण्ड (घ) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश:-

"घ" क्षेत्रीय निदेशक" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे केन्द्र सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में निम्नानुसार संबंधित क्षेत्रों के लिए नियुक्त किया गया हो:

1	2	3
(i) क्षेत्रीय निदेशक	उत्तरी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)	जम्मू एवं कश्मीर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरखण्ड तथा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़
(ii) क्षेत्रीय निदेशक	दक्षिणी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय चेन्नई	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा पुडुचेरी
(iii) क्षेत्रीय निदेशक	पूर्वी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, कोलकाता	बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य

(iv) क्षेत्रीय निदेशक	पश्चिमी क्षेत्र निदेशालय मुम्बई	महाराष्ट्र, गोवा तथा दमन एवं दीव संघ शासित क्षेत्र
(v) क्षेत्रीय निदेशक	उत्तर पश्चिम क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय अहमदाबाद	गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र
(vi) क्षेत्रीय निदेशक	उत्तर पूर्वी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय गुवाहाटी	मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिज़ोरम, मणिपुर एवं त्रिपुरा "

(फा. सं. 5/18/2005-सीएल-V)

रेणुका कुमार  
(रेणुका कुमार)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फुट नोट: प्रधान विनियम भारत के राजपत्र में एस. आर.ओ. संख्या 432 ख, दिनांक 18.2.1956 के द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए:-

1. सा.का.नि. सं. 188 दिनांक 09.01.1958
2. सा.का.नि. सं. 399 दिनांक 24.03.1962
3. सा.का.नि. सं. 1850 दिनांक 01.12.1966
4. सा.का.नि. सं. 1445 दिनांक 16.09.1967
5. सा.का.नि. सं. 668 दिनांक 10.06.1973
6. सा.का.नि. सं. 523 दिनांक 11.07.1989
7. सा.का.नि. सं. 367 (अ) दिनांक 31.05.1991
8. सा.का.नि. सं. 924 (अ) दिनांक 14.12.1992
9. सा.का.नि. सं. 610 (अ) दिनांक 23.09.2005
10. सा.का.नि. सं. 1291 (अ) दिनांक 30.07.2007
11. सा.का.नि. सं. 866-अ दिनांक 29.10.2010